महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान - म.प्र.

पहल

ई–समाचार पत्र (मासिक) – छयासठवां संस्करण (माह जून, 2021)

➔ ''पहल'' के इस संस्करण में .....

1. अपनी बात ....
2. 'शोध पत्र तैयार करने का तरीका' विषय पर एक दिवसीय वेबिनार
3. कोविड–19 आपदा से बचाव हेतु व्यवहार परिवर्तन के लिये आजीविका मिशन बैतूल की अनोखी पहल
4. 'यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) के माध्यम से डिजिटल ट्रांजेक्शन' विषय पर एक दिवसीय वेबिनार
5. ब्लेक फंगस – एक फंगल संक्रमण
6. खेती लाभ का व्यवसाय
7. पंचायत राज संस्था द्वारा कोरोना महामारी की रोकथाम हेतु प्रयास
8. कोरोना समसामायिकी– कविता
9. भूरी बाई हुई पक्के घर की मालकिन
10. मध्यप्रदेश में मनरेगा के तहत जल संरक्षण कार्य
11. ग्राम पंचायत द्वारा कोविड संक्रमण के नियंत्रण के लिये सराहनीय प्रयास

प्रकाशन समिति

संरक्षक एवं सलाहकार
श्री उमाकांत उमराव (IAS)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

प्रधान संपादक
श्री संजय कुमार सराफ,
संचालक,
महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास
एवं पंचायतराज संस्थान–म.प्र., जबलपुर

सह संपादक
श्रीमती सुनीता चौबे,
उप संचालक, म.गां.रा.ग्रा.वि.पं.रा.स.–म.प्र., जबलपुर

ई–न्यूज के सम्बन्ध में अपने फीडबैक एवं आलेख छपवाने हेतु कृपया इस पते पर मेल करें–**mgsirdpahal@gmail.com**
Our official Website : www.mgsird.org, Phone : 0761-2681450 Fax : 761-2681870

Designed & Developed By : Mr. Jay Kumar Shrivastava, Programmer, MGSIRD&PR, JABALPUR

अपनी बात...

''पहल'' मासिक ई–न्यूज लेटर का छयासठवां संस्करण का प्रकाशन किया जा रहा है, जो वर्ष 2021 का छटवां मासिक संस्करण है।

इस संस्करण में उच्च गुणवत्ता वाले ''शोधपत्र'' तैयार करने के उद्देश्य से संस्थान द्वारा एक दिवसीय वेबिनार का आयोजन किया गया। जिसे **'''शोध पत्र तैयार करने का तरीका' विषय पर एक दिवसीय वेबिनार''** एवं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) के माध्यम से डिजिटल ट्रांजैक्शन को प्रोत्साहित करने हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जिसे **'''यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) के माध्यम से डिजिटल ट्रांजेक्शन'' विषय पर एक दिवसीय वेबिनार''** समाचार आलेखों के रूप में शामिल किया गया है।

इसके साथ–साथ **''कोविड–19 आपदा से बचाव हेतु व्यवहार परिवर्तन के लिये आजीविका मिशन बैतूल की अनोखी पहल''**, **''ब्लेक फंगस – एक फंगल संक्रमण''**, **''खेती लाभ का व्यवसाय''**, **''पंचायत राज संस्था द्वारा कोरोना महामारी की रोकथाम हेतु प्रयास''**, **''कोरोना समसामायिकी– कविता''**, **''भूरी बाई हुई पक्के घर की मालकिन''**, **''मध्यप्रदेश में मनरेगा के तहत जल संरक्षण कार्य''** एवं **''ग्राम पंचायत द्वारा कोविड संक्रमण के नियंत्रण के लिये सराहनीय प्रयास''** आदि आलेखों को शामिल किया गया है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि 'पहल' का यह संस्करण आपको अत्यंत रूचिकर, नवीन उपयोगी एवं आवश्यक जानकारी प्रदान करने वाला रहेगा।

शुभकामनाओं सहित।

संजय कुमार सराफ
संचालक

''शोध पत्र तैयार करने का तरीका'' विषय पर एक दिवसीय वेबिनार

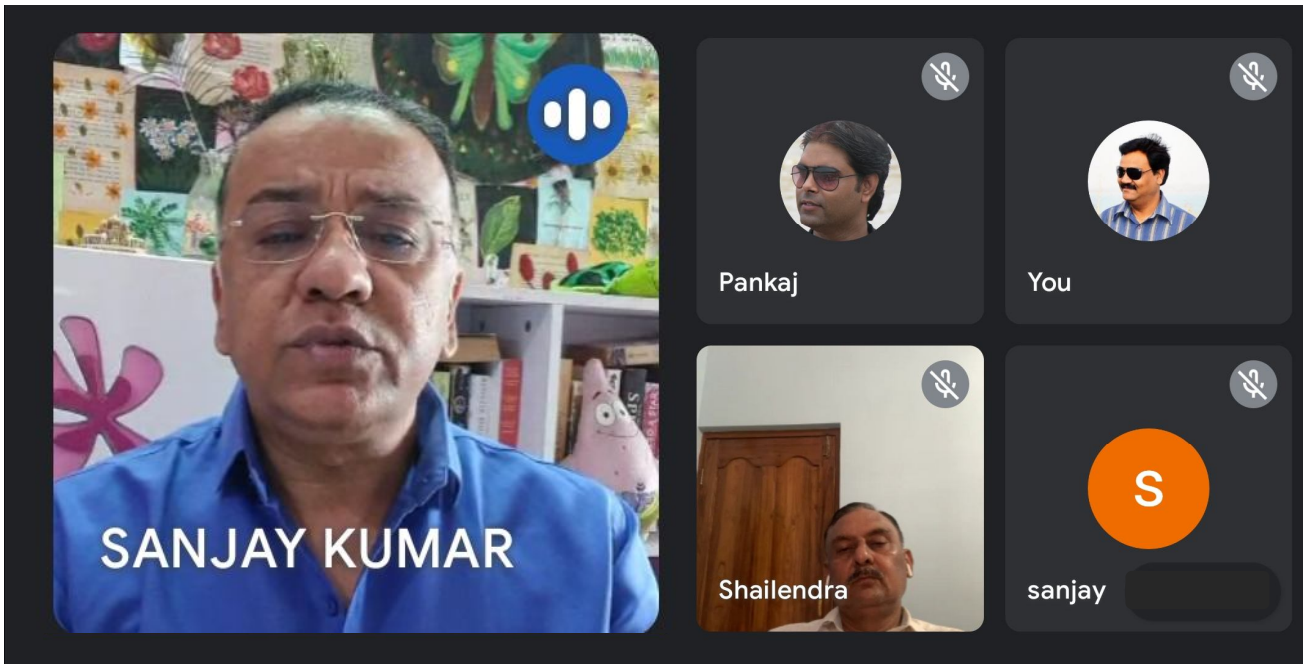

महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान–म.प्र., जबलपुर द्वारा **''शोध पत्र तैयार करने का तरीका''** विषय पर एक दिवसीय ऑन लाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 19 मई 2021 को प्रातः 11.00 से अपरान्ह 01.30 तक की अवधि में आयोजित किया गया। प्रतिभागियों के रूप में 69 संस्थान व क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज प्रशिक्षण केन्द्रों के अधिकारी, संकाय सदस्य, प्रोग्रामर्स, जिला जबलपुर एवं कटनी के सर्टीफाईड मास्टर रिसोर्स परसन ऑन लाईन शामिल हुये।

प्रशिक्षण सत्र के शुभारंभ अवसर पर संस्थान के संचालक श्री संजय कुमार सराफ ने कहा कि, हमारा यह दायित्व है कि हम इस प्रकार के शोध कार्य करें जिसका लाभ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा समाज को प्राप्त हो। जो शोध किये जावें उनके ''शोधपत्र'' उच्च गुणवत्ता वाले तैयार करने की आवश्यकता है। जिसमें यह प्रशिक्षण काफी मददगार होगा।

द्वितीय सत्र में शोधपत्र लिखने की आवश्यकता व शोधपत्र से आशय पर चर्चा की गई। संस्थान के संकाय सदस्य श्री नीलेश कुमार राय ने बताया कि शोध ग्रंथ या शोध प्रतिवेदन के खास–खास बातों को शोध पत्र में शामिल किया जाता है। तृतीय सत्र में शोध पत्र के प्रकार एवं अच्छे शोधपत्र के गुणों पर डॉ. त्रिलोचन सिंह, संकाय सदस्य द्वारा चर्चा की गई।

चतुर्थ सत्र में शोधपत्र का प्रारूप एवं शोधपत्र तैयार करने के चरण बताये गये। संस्थान के संकाय सदस्य डॉ. संजय कुमार राजपूत द्वारा चर्चा में बताया गया कि शोधपत्र की डिजाईन बना लेना चाहिए। शोधपत्र को शोध–पत्र के लिए मुद्दे या विषय की पहचान, विषय पर शोधकार्य, शोधपत्र का खाका तैयार करना, शोधपत्र लिखना जैसे चरणों में तैयार किया जा सकता है।

प्रशिक्षण के आखिर में जिज्ञासा समाधान चर्चा में प्रतिभागियों को प्रश्नों के समाधान दिये गये। सत्र

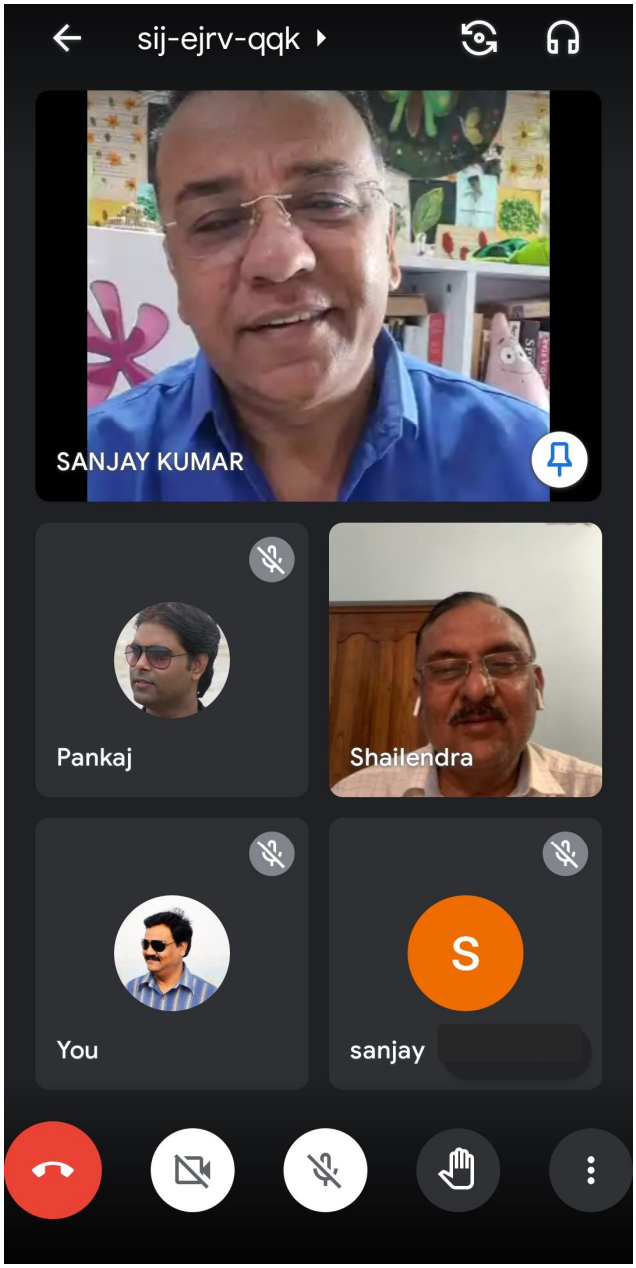

के समापन अवसर पर संस्थान के उपसंचालक श्री अश्विनी कुमार अंबर ने कहा कि जिस कार्य को करने में हमें भय लगे उसे बार–बार करें तो जरूर सफलता मिलेगी। शोध से संबंधित कार्यो से बिना भयभीत हुये अपना कार्य अच्छे से करें। शोध कार्य, शोध प्रतिवेदन एवं शोधपत्र तैयार में प्रतिभागियों को इस प्रशिक्षण से जरूर लाभ मिलेगा।

इस प्रशिक्षण में सभी प्रतिभागियों की सजग सहभागिता प्राप्त हुई। संस्थान के संचालक श्री संजय कुमार सराफ एवं उपसंचालक श्रीमती सुनीता चौबे, श्री शैलेन्द्र कुमार सचान, श्री अश्विनी कुमार अम्बर से प्रशिक्षण में मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। संस्थान के संकाय सदस्य श्री नीलेश कुमार राय, डॉ. त्रिलोचन सिंह द्वारा अपने विषयों पर चर्चा की गई। श्री जयकुमार श्रीवास्तव, श्री आशीष दुबे, प्राग्रामर्स श्री सुरेन्द्र प्रजापति, श्री पंकज राज से अकादमिक व तकनीकी सहयोग मिला। सत्र समन्वयक डॉ. संजय कुमार राजपूत ने सभी के प्रति आभार प्रकट करते हुये सत्र समापन किया गया।

डॉ. संजय कुमार राजपूत
संकाय सदस्य

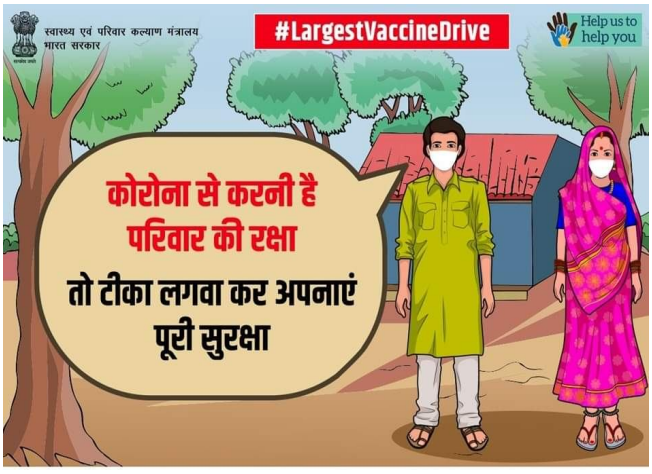

कोविड–19 आपदा से बचाव हेतु व्यवहार परिवर्तन के लिये आजीविका मिशन बैतूल की अनोखी पहल

जागरूकता पहल व प्रयास

वर्तमान में कोविड–19 संक्रमण की आपदा से हमारे गॉव भी प्रभावित होते दिखाई दे रहे हैं। ऐसी विपदा के समय मध्यप्रदेश के जिला बैतूल की आजीविका समूहों की महिलाओं द्वारा संगठित होकर ग्रामीण इलाकों में जन–जन को जागरूक करने का बीड़ा उठा लिया गया है। समूह की दीदियां अपने गॉव में लोगों को कोविड–19 से बचाव एवं रोकथाम जानकारियां दे रहीं हैं।

कोविड़–19 से बचने हेतु व्यवहार परिवर्तन

समूह की दीदियां विभिन्न प्रसार माध्यमों से कोविड़–19 संक्रमण से बचने के लिए ग्रामीणों में अपेक्षित आदतों व व्यवहार में बदलाव लाने के तरीके बता व सिखा रहीं हैं। प्रदेश के बैतूल जिले में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत संचालित म.प्र. डे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा कोविड–19 से सुरक्षा के लिए निरंतर गतिविधियां संचालित की जा रही है, जिससे कि कोरोना से सुरक्षा के लिए ग्रामीणजन जागरूक हो सके।

रोको–टोको अभियान

इसी श्रृंखला में कोरोना कर्फ्यू के दौरान जिले के ग्रामों में गठित स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन एवं संकुल स्तरीय संगठनों की दीदीयों द्वारा रोको–टोको अभियान के तहत अपने–अपने ग्रामों में ग्रामीणों से मास्क लगाने एवं सोशल डिस्टेंसिंग बनाने की अपील की जा रही है। समूहों से जुड़ी दीदीयों द्वारा ग्राम के सभी परिवारों में जाकर उन्हें मास्क लगाने एवं सामाजिक दूरी बनाये रखने के महत्व के बारे में समझाईश दी रही है।

''अपने घरों पर रहे घर से कोई बाहर न निकलें''

जिला स्तर से समस्त ग्रामों में स्व सहायता समूह की दीदीयों द्वारा एक कोविड–19 की रोकथाम के लिए उत्कृष्ट भूमिका तैयार की जा रही है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रो में जनता कर्फ्यू का पालन कराये जाने हेतु ग्रामीण स्तर पर सघन अभियान चलाया जा रहा है जिसमें सभी सदस्य ''अपने घरों पर रहे घर से कोई बाहर न निकलें'' की समझाईश दी जा रही है।

मास्क और मनरेगा श्रमिक

समूहों से जुड़ी दीदीयों द्वारा मास्क निर्माण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। समूह द्वारा तैयार किये गये मास्क उपलब्ध कराये जा रहे हैं। साथ समूह की दीदियों द्वारा मनरेगा श्रमिकों को मास्क के सही उपयोग करने से होने वाले फायदे व मास्क पहनने के सही उपयोग करने का तरीका सिखाया जा रहा है।

प्रशिक्षणों का आयोजन

बैतूल जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी कुल 305 महिलाओं को कोविड–19 की रोकथाम के लिए मास्टर सीआरपी के रूप में चयनित किया गया था। इन समूह की कम्युनिटी रिसोर्स परसन (सीआरपी) दीदीयों को भारत सरकार एवं राज्य शासन द्वारा ऑनलाइन वर्चुअल प्रशिक्षण प्रदाय कर प्रशिक्षित किया गया है।

प्रशिक्षण के बाद इन सभी सीआरपी दीदियों द्वारा जिला एवं विकासखंड स्तर से कोविड–19 फेस–2 के बचाव एवं रोकथाम हेतु तय किये गये पंचसूत्र से ग्रामीण परिवारों के सदस्यों को जागरूक किया जा रहा है। जिले के समस्त विकासखंडों में आजीविका मिशन द्वारा प्रवेश किये गये कुल 1145 ग्रामों में से 954 ग्रामों में

गठित 6445 स्व सहायता समूहों से जुड़े हुये कुल 77340 सदस्यों को अभी तक कोविड–19 से बचाव एवं रोकथाम हेतु प्रशिक्षण प्रदाय किया जा चुका है।

निष्कर्ष

जिला बैतूल द्वारा कोविड–19 संक्रमण से बचाव की इस सफलता की कहानी से हमें यह सीखने मिलता है कि संकट से निपटने के लिए विभिन्न गतिविधियों को एक साथ क्रियान्वित करने की आवश्यकता है।

जिला बैतूल में आजीविका मिशन की समूह की दीदियों द्वारा कोविड़–19 से बचने हेतु जागरूकता पहल व प्रयास, व्यवहार परिवर्तन, रोको–टोको अभियान, प्रशिक्षणों का आयोजन, ''अपने घरों पर रहे घर से कोई बाहर न निकलें'' संदेश का प्रसार, मास्क तैयार करना और उन्हें मनरेगा श्रमिकों का उपलब्ध कराया जाने संबंधित गतिविधियां चलाई जा रही हैं।

श्री एम.एल. त्यागी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बैतूल के नेतृत्व में आजीविका मिशन परियोजना दल बैतूल की पूरी टीम कोविड–19 के संकट काल से सामना करने के लिए प्रयासरत है।

श्री सतीश पवार, जिला परियोजना अधिकारी, श्री राम भरोसे जाटव, सहायक जिला प्रबंधक (क्षमता विकास प्रशिक्षण), श्री घनश्याम यादव, जिला मास्टर ट्रेनर के कुशल प्रबंधन से जिला बैतूल की आजीविका समूह की दीदियों द्वारा कोविड़–19 संक्रमण के इस संकट के दौर से बचने व ग्रामवासियों को बचाने की दिशा में किये गये जा रहे प्रयास सराहनीय व अनुकरणीय हैं।

डॉ. संजय कुमार राजपूत
संकाय सदस्य

''यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) के माध्यम से डिजिटल ट्रांजेक्शन'' विषय पर एक दिवसीय वेबिनार

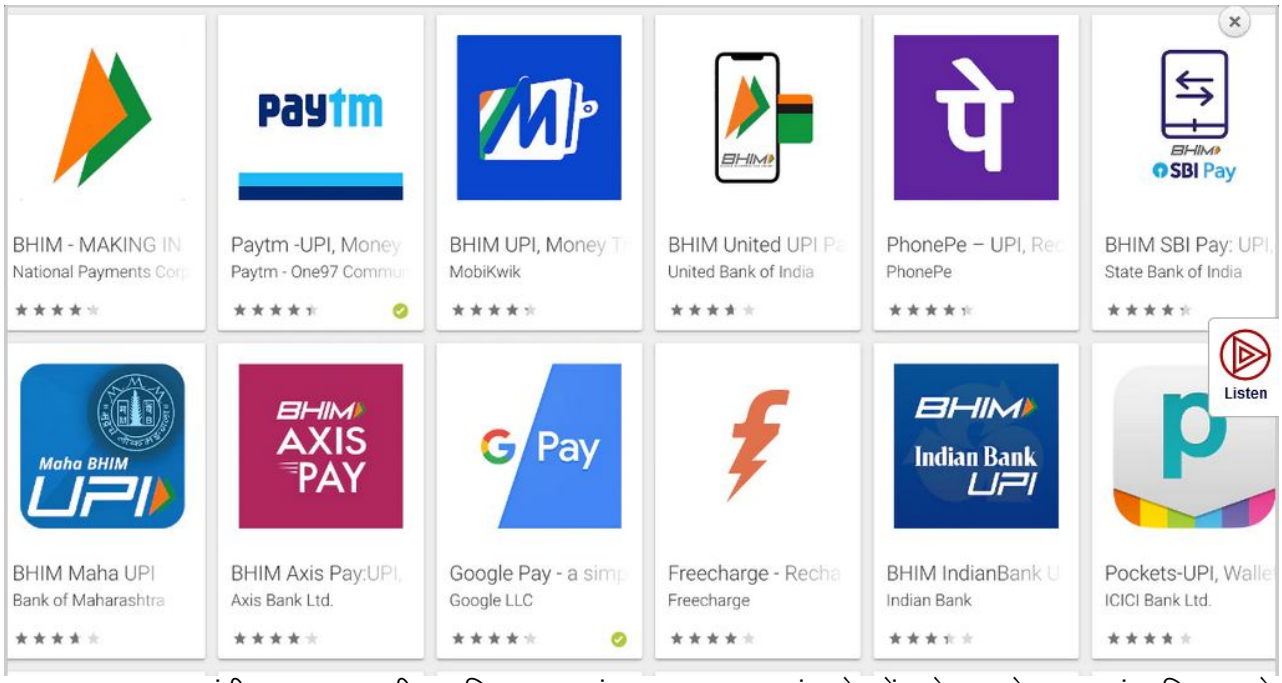

महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, मध्यप्रदेश द्वारा संस्थान के संचालक आदरणीय श्री संजय कुमार सराफ सर के मार्गदर्शन में दिनांक 15 मई 2021 को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) के माध्यम से डिजिटल ट्रांजैक्शन को प्रोत्साहित करने विषय पर एक दिन का ऑनलाइन प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

प्रशिक्षण में संस्थान एवं क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज प्रशिक्षण केन्द्रों के प्राचार्य अधिकारीगण, संकाय सदस्य एवं कंप्यूटर प्रोग्रामर प्रतिभागी के रूप में उपस्थित रहे एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 58 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ संस्थान के उपसंचालक महोदय श्री शैलेंद्र कुमार सचान सर द्वारा किया गया एवं वर्तमान परिपेक्ष में डिजिटल ट्रांजैक्शन का महत्व एवं उद्देश्यों को बताते हुए एवं प्रशिक्षण से प्रतिभागियों की अपेक्षाओं के बारे में जानकारी सांझा की गई।

प्रशिक्षण सत्र के शुभारंभ के पश्चात संस्थान के संकाय सदस्य डॉ. संजय कुमार राजपूत द्वारा प्रथम सत्र में डिजिटल लेनदेन के सामान्य बातें एवं जानकारियां प्रदान की। जिस में नगदी रहित व्यवहार कैशलैस ट्रांजैक्शन का अर्थ जिसके अंतर्गत वस्तु के आदान–प्रदान या सेवाओं के उपभोग के बदले लेनदेन में नगद राशि का उपयोग न करते हुए डिजिटल माध्यम का उपयोग कर राशि का भुगतान करना या राशि को प्राप्त करना समझाया गया। इसके अंतर्गत यह भी बताया है कि किस प्रकार से नगद सम व्यवहार कर बहुत ही कम समय में किसी एक बैंक खाते से राशि दूसरे बैंक खाते में राशि जमा की जा

सकती है। इसके साथ ही इसके अन्य लाभों के बारे में भी जानकारी प्रदान की गई।

इसी प्रकार प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वितीय सत्र में संस्थान के संकाय सदस्य एवं सत्र संचालक श्री सुरेंद्र प्रजापति द्वारा डिजिटल ट्रांजैक्शन संबंधित सामान्य बिंदुओं पर चर्चा कर यूपीआई, यूएसएसडी, एइपीएस, पीओएसमशीन, एमपीओएसमशीन, डेबिटकार्ड ,क्रेडिटकार्ड, मोबाइल बटवा एवं क्यूआर कोड आदि के विषय में प्रारंभिक जानकारी प्रदान की गई साथ–साथ डिजिटल ट्रांजैक्शन के विशेष संदर्भ में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई की विशेषताएं एवं लाभ के विषय में चर्चा की गई।

प्रशिक्षण को आगे बढ़ाते हुए प्रशिक्षण के तृतीय सत्र में संस्थान के कंप्यूटर प्रोग्रामर इंस्ट्रक्टर श्री जय कुमार श्रीवास्तव एवं संस्थान के संकाय सदस्य श्री पंकज राय द्वारा डिजिटल ट्रांजैक्शन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई की संपूर्ण प्रक्रिया पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से सभी प्रतिभागियों से सांझा की गई एवं समय–समय पर सभी के विचार लिए गए एवं जानकारी दी गई की आगामी प्रशिक्षण सत्रों में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस उपयोग के संबंध में अभ्यास भी सुनिश्चित किया जायेगा।

प्रशिक्षण के अंतिम एवं चतुर्थ सत्र में सत्र संचालक श्री सुरेंद्र प्रजापति द्वारा डिजिटल ट्रांजैक्शन में ध्यान रखे जाने वाली बातों को विस्तृत रूप से सभी प्रतिभागियों को समझाया गया एवं किस किस प्रकार से ऑनलाइन धोखाधड़ी की जा रही है, एवं उनके प्रकारों के बारे में चर्चा की गई जिसमें विशेष रूप से फिशिंग और ईमेल स्कैम, ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड, व्यक्तिगत पहचान कर के चोरी, स्कैन लॉटरी फ्रॉड, मैट्रिमोनियल फ्रॉड, अकाउंट ब्लॉक फ्रॉड, आधार अपडेट फ्रॉड, क्रेडिट कार्ड रीवार्ड प्वाइंट्स फ्रॉड ,ओएलएक्स फ्रॉड, सोशल मीडिया फ्रॉड एवं लकी कूपन ड्रॉ फ्रॉड के विषय में बताया गया की किस प्रकार से इनसे सतर्क रहा जा सकता है।

सत्र के अंत में सभी प्रतिभागियों से विषय संबंधित प्रश्न लिए गए एवं शंकाओं का समाधान किया गया एवं संस्थान के उपसंचालक श्री अश्वनी कुमार अंबर सर द्वारा प्रशिक्षण को सफल एवं वर्तमान परिदृश्य में आवश्यक बताते हुए दैनिक दिनचर्या में अधिक से अधिक नगद लेनदेन न कर के डिजिटल ट्रांजैक्शन माध्यमों का उपयोग करने कहा गया एवं इनके उपयोग करते समय सावधानियां बरतने भी कहा गया। तत्पश्चात सत्र समन्वयक श्री सुरेंद्र प्रजापति द्वारा सभी प्राचार्यों, अधिकारियों, संकाय सदस्यों, कंप्यूटर प्रोग्रामर एवं अतिथि व्याख्याताओं धन्यवाद प्रस्तुत कर सत्र समाप्ति की घोषणा की गई।

सुरेन्द्र प्रजापति,
संकाय सदस्य

ब्लेक फंगस – एक फंगल संक्रमण

कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से ब्लेक फंगस का खतरा बढ गया है। और कई राज्यों में ब्लेक फंगस से कई संक्रमित मरीजो की जान भी गई है। ब्लेक फंगस रोग के संक्रमण की गंभीरता को देखते हंए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने दिशा निर्देश जारी किए हैं जिनकी मदद से ब्लेक फंगस संक्रमण की पहचान की जा सकती है । अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा जारी दिशा निर्देशो में ब्लेक फंगस संक्रमण होने पर क्या करना है ये भी स्पश्ट किया गया हैं । सबसे पहले हम ब्लेक फंगस संक्रमण के लक्षण क्या है जानते हैं

ब्लेक फंगस संक्रमण होने के लक्षण –

1 नाक से काला द्रव या खून की पपडी निकलना
2 नाक का बंद होना
3 सिरदर्द या आंखो में दर्द
4 आखों के आस पास सूजन आना
5 धुधला दिखना
6 ऑखे लाल होना
7 आंखो की रोशनी जाना
8 आंखे खोलने और बंद करने में परेशानी महसूस होना
9 मुँह खोलने एवं चबाने में परेशानी होना
10 चेहरा सुन्न होना एवं चेहरे में झुनझुनी महसूस करना
11 लगातार बुखार होना
12 सिर दर्द
13 खांसी
14 उल्टी में खून आना

15 मेन्टल कन्फयूजन एवं मानसिक तनाव

ब्लेक फंगस संकमण का खतरा निम्न मरीजो को ज्यादा हैं–

1 डायबीटिज वाले मरीज

2 जो किसी भी बीमारी के लिए स्टेरॉइड ले रहे है

3 लंबें समय तक आईसीयू मे रहे हो

4 किसी तरह का टासप्लान्ट हुआ हो

5 वोरिकोनाजोल थेरेपी ली हो (एंटीफंगल टीटमेन्ट)

कुछ विशेष लक्षणों को भी ध्यान में रखें –

1 गाल की हड्डी में दर्द हो

2 नाक ओर तालू के उपर कालापन आ जाए

3 दांत में दर्द , दांतो में ढीलापन लगे , जबडें में दिक्कत

4 त्वचा में घाव खुन का थक्का जमें

5 छाती में दर्द हो सांस लेने में दिक्क्त हो ।

इन लक्षणों को अनदेखा न करें सर्तक रहें। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के दिशा निर्देश के अनुसार ब्लेक फंगस के लक्षण जॉचने के लिए लगातार अपने चेहरे का निरीक्षण करते रहें । ओर देखते रहे कि चेहरे पर कोई सूजन खासकर– नाक , ऑख या गाल पर नही है या फिर किसी भाग को छूने पर दर्द हो रहा हो ।

ब्लेक फंगस संक्रमण का खतरा होने पर क्या करे –

1 ब्लेक फंगस की जॉच के बाद कुछ भी शक हो तो तुरंत ईएनटी डॉक्टर को दिखाएं

2 डॉक्टर की सलाह के अनुसार लगातार उपचार करवाएं

3 ब्लड शुगर को कंटोल करने का पूरा प्रयास करें

4 किसी अन्य गंभीर बिमारियो से ग्रसित हो तो उनकी दवाई का सेवन नियमित डॉक्टर के परार्मश से करे

5 अपने आप किसी भी तरह की दवा का सेवन न करें

किसी भी गंभीर स्थिति से बचने के लिए लगातार चिकित्सीय परामर्श एवं सम्पर्क में रहना आवश्यक हैं। क्योकि सर्तकता ही बचाव है।

डॉ. वंदना तिवारी,
व्याख्याता

खेती लाभ का व्यवसाय

माननीय प्रधान मंत्री श्रीमान नरेन्द्र मोदी जी ने 2022 तक कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाने का संकल्प लिया है। जिसको अलग–अलग वैज्ञानिको द्वारा उन्नत खेती के अलग–अलग पद्धति बताई गइ है, जिसमे एक गाय के गोबर गौ मूत्र से लगभग तीस एकण तक भूमि से जैविक खेती करना सम्भव है, हिमाचल के राज्यपाल माननीय आर्चाय श्रीमान देवव्रत जी द्वारा प्रदेश के 180 एकण भूमि के फार्म हाउस को पद्यम श्री की उपाधि प्राप्त श्री सुभांष पालेकर जी द्वारा जीवामृत–धनामृत जो कि गाय के गोबर ,गौ मूत्र से तैयार किया गया का उपयोग कर बगैर रासायनिक खाद , और किटनाशक से फसल का उत्पादन पिछले वर्ष कि तुलना मे अधिक हुआ, जिससे प्रेरित होकर इस कृषि फार्म मे जीरो बजट खेती के नाम से किसानो को मुफ्त प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे कि कृषि की उत्पादन लागत कम होकर किसानो कि आय में वृधि हो रही है ।

जैविक खेती के विशेषज्ञ ड़ा0 अजय बोहरा एक कृषक है, लेकिन जैविक मे महारत हासिल करने के लिए ड़ाक्टरैट कि उपाधि मिलि है, श्री अजय बोहरा ने अपने खेत कि बालूई मिट्टी और खारे पानी में जैविक पद्धति से एप्पल बेर बाग तैयार किया ,उन्होन साबित कर दिया कि किसान अच्छी पेदावार के लिये रासायनिक खाद, रासायनिक किटनाशक दवा की जरूरत नहीं है, किसान अपने खेत में जैविक खाद (जीवामृत–घनामृत) तथा जैविक किटनाशक दवा, बैक्टीरिया, माइक्रोन्यूट्रिएंट, यूरिया, डी.ए.पी.के विकल्प के रूप में जैविक घोल खेत पर ही तैयार किये जा सकते है, जिसमे प्रचुर मात्रा में पोशक तत्व है जिसका कि लैब टेस्ट करने पर निम्न पोशक तत्व पाये गये–

1	नाईट्रोजन	2.25 प्रतिशत
2	फास्फोरस	0,75प्रतिशत
3	पोटास	1,88प्रतिशत
4	कार्बन	4,40प्रतिशत
5	मेग्नेशियम	220 पी पी एम
6	आयरन	585 पी पी एम
7	जिंक	124पी पी एम
8	कापर	48 पी पी एम
9	मित्र जिवाडू	2×10^{13}सीएफयू

(सीएफयू: कालोनि फार्मिंग यूनिट)

ड़ा0 कृष्ण चन्द्रा, निदेशक राष्ट्रीय कृषि केन्द्र गाजियाबाद भारत शासन की संथान में पदस्थ द्वारा जैविक खेति के लिए डिकम्पोसर (कलचर) तैयार किया गया है, जिसे किसान एक ड्रम मे 200 लीटर पानी 2 किलो गुण और कलचर मिलाकर 7 दिन के बाद किसान अपनी फसल में पानी के साथ हर 15 दिन मे और हर 4 से 5 वे दिन छिडकाव कर अपनी फसल से बिना रासायनिक खाद ,और बिना किटनाशक दवा के उपयोग करे सिंफ डिकम्पोसर घोल से पैदावार को बढाकर अच्छा लाभ कमा रहे है, किसानो को सस्थान द्वारा एक शीशी रू बीस में उपलब्ध कराइ जा रही है। किसान अपने ही खेत पर इस डिकम्पोसर घोल से ही बीजोपचार ,गोबर खाद, माइक्रोन्यट्रिएन एवं जैविक किटनाशक तैयार कर किसी भी प्रकार कि भूमि पर अच्छा उत्पादन लेकर लाभ अर्जित कर सकता है। किसान उपरोक्त किसी भी पद्धति का उपयोग कर खेती को लाभ का व्यवसाय बना सकता है।

राजकुमार मूदड़ा
संकाय सदस्य

पंचायत राज संस्था द्वारा कोरोना महामारी की रोकथाम हेतु प्रयास

वैश्विक महामारी कोराना की दुसरी लहर के कहर को रोकने हेतु पंचायतराज संस्था जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत ने अथम प्रयास किये जैसे ग्रामों में कोरोना रोकथाम कैसे हो जिला सिवनी के अंतर्गत जनपद पंचायत लखनादौन ने कोरोना रोकथाम हेतु लोकगीत, नाकाबंदी (गांव के चेक पोस्ट) एवं जागरूकता रथ प्रारम्भ कर कोरोना महामारी रोकथाम हेतु प्रयास किये गये। जनपद पंचायत लखनादौन से जागरूकता रथ प्रारम्भ कर पूरी 108 ग्राम पंचायतों में रथ को घुमाकर जागरूक किया ताकि ग्रामवासी टीका लगायें। लाकडाउन में घर में रहे। पाजीटीव मरीज घर में रहे, सामजिक दूरी बनायें, हाथों को बार–बार धोयें एवं ग्रामों में आयोजित टीकाकरण शिबिर मे टीका लगाकर कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु घर–घर जाकर प्रयास किया गया।

ग्रामों में टीका लगाने संबंधित भ्रामक वीडियों वायरल, भ्रामक अफवाहों को जागरूकता रथ के माध्यम से दूर किया गया।

जागरूकता रथ अभियान के कारण टीकाकरण का प्रतिशत में वृद्धि हुई। निश्चित ही जनपद पंचायत लखनादौन के सराहनीय प्रयास को प्रदेश की सभी जनपद पंचायतों ने किया जाना चाहिये।

सी.के. चौबे,
संकाय सदस्य

हे ईश्वर ! कहाँ हो तुम ?

सैकड़ों हृदयों का, सुनते तो होगें तुम भी क्रंदन।
भर–भर आता होगा, तुम्हारा भी मन।।
रोज कांपतें हाथों से चिताओं की लकडियाँ सजाना।
बुझे मृतप्रायः मन–तन से, अपनों में आग लगाना।।
देखा न कभी ऐसा समय, ओर न फिर कभी दिखाना।
कहाँ जाकर बचाए जान, बताओं भगवान् ऐसा कोई ठिकाना।।
कहाँ सोते हो प्रभू अमृत की बुंदे बनकर अब तो बरस पड़ो।
क्यों रूठे हो हमसे, देखो न अब तो हँस पड़ो।।
अच्छा लगेगा हमें मंदिर में फिर से लाईन लगाना।
कर के तेरे दर्शन, मांग कर तेरा प्रसाद खाना।।
देखा न कभी ऐसा समय, ओर न फिर कभी दिखाना।
कहाँ जाकर बचाए जान, बताओं भगवान् ऐसा कोई ठिकाना।।
रोक लो न माई को, पकड़ लो न भाई को।
मुहँ देखी तो करने दो, रोको निष्ठुर बिदाई को।।
मैं तुम्हें लगाऊँगा कांधा या तुम मुझे लगाना।
ऐ दोस्त, जाने कब पड़ जाए संसार से जाना।।
देखा न कभी ऐसा समय, ओर न फिर कभी दिखाना।
कहाँ जाकर बचाए जान, बताओं भगवान् ऐसा कोई ठिकाना।।
ऐ नन्हें–मुन्हें होठों, अब तुम ही करो ना प्रार्थना।
सुना है कि प्रभू सुनते हैं, बच्चों की आराधना।।
कहो न उनसे हमें भी तो है स्कूल जाना।
कुछ दोस्तों की सुनना, कुछ अपनी बताना।।
देखा न कभी ऐसा समय, ओर न फिर कभी दिखाना।
कहाँ जाकर बचाए जान, बताओं भगवान् ऐसा कोई ठिकाना।।

शशांक भार्गव,
संकाय सदस्य

भूरी बाई हुई पक्के घर की मालकिन

प्रधानमंत्री आवास योजना शासन की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके अंतर्गत हितग्राही को पक्का आवास की सुविधा दी जाती है। बड़वानी जिले की जनपद पंचायत बड़वानी के ग्राम पंचायत अमल्यापानी निवासी श्रीमती भूरी बाई के पति जूर सिंह की मृत्य के उपरान्त अपने बच्चों के साथ अपने छोटे से कच्चे मकान में रहती थी।

भूरी बाई का मकान लकड़ी एवं पन्नी का बना हुआ था जिसमें बरसात में धराशाही होने का दर बना रहता था। इसके साथ ही मकान कच्चा होने के कारण चूल्हा जलाने के दौरान मकान के जलने का दर बना रहता था। भूरी बाई के पति की मृत्यु हो जाने से बच्चों की परवरिश मजदूरी करके बहुत मुश्किल से हो रही थी। और मजदूरी करके भूरी बाई के द्वारा मकान बनाना संभव नहीं था। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत अमल्यापानी द्वारा शासन की योजना –प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत आवास स्वीकृत किया गया, जिसके अंतर्गत आवास निर्माण हेतु राशि रुपये 1,20,000 (एक लाख बीस हजार) व मनरेगा मजदूरी के 15,500(पंद्रह हजार पाँच सौ) रुपये प्राप्त हुए, जिससे भूरी बाई का पक्का मकान छत वाला बन गया। इसके साथ ही भूरी बाई को शौचालय निर्माण के लिए 12,000 (बारह हजार) रुपये प्राप्त हुए, जिससे उन्होंने शौचालय का निर्माण भी कराया है।

भूरी बाई ने बताया कि ग्राम पंचायत अमल्यापानी के सहयोग से शासन के द्वारा मुझे आर्थिक सहायता प्राप्त हुई जिससे उनका पक्का शौचालय युक्त छत वाला पक्का घर का सपना साकार हो सका। शासन के सहयोग के बिना यह संभव नहीं था। इसके लिए ग्राम पंचायत अमल्यापानी एवं शास के प्रति उन्होंने आभार प्रकट किया।

चंद्रेश कुमार लाड़
संकाय सदस्य

मध्यप्रदेश में मनरेगा के तहत जल संरक्षण कार्य

जल ही जीवन है और जगत के अस्तित्व का आधार भी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना आज देश का सबसे बड़ा जल संरक्षण कार्यक्रम है। जल संरक्षण को अगर केंद्र में रखा जाए तो मनरेगा योजना में ग्रामीण मध्यप्रदेश की तस्वीर के कायाकल्प और गरीबों के जीवन को बदल देने की क्षमता है।

जलवायु परिवर्तन के इस दौर में जल संरक्षण और भी जरूरी हो जाता है। मनरेगा इस दिशा में दुनिया के सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक है क्योंकि इसमें मानव श्रम के जरिए पानी की कमी से लड़ने का ढांचा तैयार किया जाता है। इसमें जल संरक्षण के लिए व्यक्तिगत और सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण किया जाता है।

जल संरक्षण तथा जल संवर्धन के कार्य

इसके अंतर्गत स्थानीय आवश्यकतानुसार कन्टूर ट्रेंच, लूज बोल्डर स्ट्रक्चर, गेबियन स्ट्रक्चर, परकोलेशन तालाब, नदी–नाले पर मिट्टी–बोल्डर बंधान, स्टॉपडेम, चेकडेम, सामुदायिक तालाब, मेढ़ बंधान, खेत तालाब, पुरानी जल संरचनाओं का जीर्णोद्धार, बावड़ी पुननिर्माण आदि कार्य किए जा रहे हैं।

भू जल दोहन के कार्य

इसमें मुख्य रूप से कपिलधारा उपयोजना अंतर्गत कूप निर्माण कार्य किए जा रहे हैं।

जलाभिषेकम कार्यक्रम

कोविड काल में मनरेगा का महत्व बढ़ा है।कोरोना काल में अपने घर लौटे प्रवासी मजदूरों को मनरेगा में रोजगार उपलब्ध कराया गया है, निर्माण कार्य हुए और बड़े क्षेत्र में जल सुविधाओं का विस्तार हुआ है। मध्यप्रदेश में जलाभिषेकम के अंतर्गत 57653 जल संरचनाओं का निर्माण हुआ।इनमें से 53517 मनरेगा से एवं 4136 वाटरशेड से बनी हैं। इन जल संरचनाओं में व्यक्तिगत खेत तालाब, तालाब, परकोलेशन टैंक, स्टॉप डेम, चेकडेम, कपिलधारा कूप, पुरानी जल संरचनाओं का जीर्णोद्धार शामिल है। इनसे लगभग ढाई लाख हेक्टेयर भूमि में कृषि सिंचाई सुविधा विकसित हुई है और भूमिगत जल स्तर भी बढ़ा है।

ऐतिहासिक तालाबों का जीर्णोद्धार

बुंदेलखंड में चंदेलकालीन ऐतिहासिक तालाबों को चिन्हित कर मनरेगा से उनके जीर्णोद्धार का कार्य किया जा रहा है।

नदी पुनर्जीवन

मध्यप्रदेश की ऐसी नदियां जो वर्षाकाल के बाद सूख जाती हैं और इस पर आधारित आजीविका और पारिस्थिकी तंत्र प्रभावित होता है उन नदियों के प्रवाह को बारहमासी बनाये रखने के लिए कैचमेंट क्षेत्र में संवर्धन तथा जल संरक्षण के कार्यों का वाटरशेड के सिद्धान्त के आधार पर चयन कर मनरेगा योजना से कार्य किये जा रहे हैं।

कैच द रेन

इस अभियान के अंतर्गत बारिश के पानी को संग्रहित करने के लिए वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है। यह अभियान 22 मार्च 2021 से 30 नवंबर 2021 की अवधि के लिए चलाया जा रहा है। इसमें मनरेगा से नवीन जल संरचनाओं का निर्माण एवं पुरानी जल संरचनाओं का जीर्णोद्धार किया जा रहा है।

जल संरक्षण कार्यों का महत्व

मनरेगा अंतर्गत जल प्रबंधन कार्यों ने ग्रामीणों को आजीविका की सुरक्षा दी है और प्रतिकूल मौसम से सामना करने योग्य बनाया है। इस रूप में यह ग्रामीण किसानों और भूमिहीन मजदूरों के लिए एक सुरक्षा कवच का कार्य करता है। मजदूरी सुरक्षा उपलब्ध कराने के साथ साथ मनरेगा ने टिकाऊ ग्रामीण संरचनाओं के लिए परिसंपत्ति निर्माण पर जोर दिया है।जल संरक्षण कार्यों से भूजल स्तर में वृद्धि हुई है, पानी की उपलब्धता बढ़ी है और मिट्टी की उर्वरता में सुधार हुआ है। इन कार्यों के बदौलत जल उपलब्धता बढ़ने से सूखी बंजर भूमि के बड़े हिस्से को खेती योग्य बनाया जा सका है।

राजीव लघाटे,
मु.का.अ.ज.पं.

ग्राम पंचायत द्वारा कोविड संक्रमण के नियंत्रण के लिये सराहनीय प्रयास

मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले की जनपद पंचायत घोडाडोगरी की ग्राम पंचायत सलैया एक आदिवासी बाहुल्य पंचायत है जिसकी अधिकांश आबादी कृषि एवं मनरेगा में मजदूरी कर अपनी जीविका अर्जित करती हैा इस ग्राम पंचायत में कुल 2 ग्राम है, ग्राम बगडोना एवं ग्राम सलैयाा . ग्राम पंचायत सलैया की कुल आबादी 3563 है कुल 20 वार्डो में निवासरत हैा ग्राम पंचायत सलैया नगरीय क्षेत्र सारनी के निकट होने के कारण यहां पर निवासरत ग्रामीण मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड सारनी एवं वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड पाथाखेड़ा में भी कार्य करने जाते है जिसके कारण ग्राम पंचायत में कोरोना का संक्रमण नगरीय क्षेत्र

से ग्रामीण क्षेत्र की ओर तेजी से फैला और वहां संक्रमितों की संख्या बढ़कर 19 हो गई जिसके कारण ग्राम पंचायत का ग्राम सलैया रेड जोन में आ गया तथा संपूर्ण ग्राम को कंटेनमेंट बनाया गया थाा संक्रमण की बढती गति एवं गंभीर स्थिति को देखते हुये निम्नानुसार कदम उठाये गये दृ

कोविड संक्रमण के नियंत्रण के लिये किये गये प्रयास

1. ग्राम स्तरीय दल के द्वारा किये गये कार्य –

ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, पटवारी, ए.एन. एम., आशा कार्यकर्ता, आंगनवाडी कार्यकर्ता, आंगनवाडी सहायिका एवं ग्राम कोटवार ग्राम स्तरीय दल के सदस्य हैा इनका दायित्व था कि जैसे किसी व्यक्ति की रिपोर्ट पाजिटीव आने की सूचना प्राप्त होती थी, सर्वप्रथम ये उस व्यक्ति को होम आईसोलेट करा कर घर के बाहर पीला पर्चा चस्पा करा कर कंटेन्मेंट का फलैक्स कंटेनमेंट जोन बनाते थेा प्रतिदिन दिन में तीन बार इस दल द्वारा संबंधित व्यक्ति के घर जा कर इस बात की पुष्टि की जाती थी कि कंटेनमेंट जोन में किसी भी व्यक्ति का प्रवेश अथवा कोई भी व्यक्ति कंटेनमेंट से बाहर नही जा रहा हैा आस–पडोस के घरो से भी इसकी जानकारी ली जाती थीा घर–घर जा कर इस दल द्वारा सभी नागरिकों से उनके स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ली जा कर सर्वे सतत जारी रखा गया "किल कोरोना–1" एवं "किल कोरोना–2" के अन्तर्गत इस कार्य को सम्पादित किया गया एवं वर्तमान में "किल कोरोना – 3" अभियान अन्तर्गत यह कार्य सतत जारी हैा संक्रमण के लक्ष्ण वाले संदिग्ध व्यक्तियों के चिनहांकन पश्चात इनकी जांच एवं उपचार भी तत्काल प्रारंभ कराया जाता था एवं ऐसे संदिग्ध व्यक्ति्यों को सात दिवस के लिये होम कोरंटाईन कराया जाता था जिससे की समय

रहते संक्रमण फैलने की गति को धीमा करते हुये संक्रमण की श्रंखला को तोडा गया। ग्राम स्तरीय दल द्वारा 45 से अधिक आयु के व्यक्तियों का वैक्सिनेशन हेतु प्रेरित कर वैक्सिनेशन केन्द्र तक पहुंचाया गया।

2. महिला स्व सहायता समुह द्वारा किये गये कार्य –

ग्राम पंचायत सलैया के बजरंग आजीविका स्व सहायता समुह द्वारा लॉकडाउन एवं जनता कर्फयू अवधि में 2000 मास्क तैयार किये गये जिसका वितरण ग्रामीणों एवं मनरेगा श्रमिकों को किया गयाा समुह द्वारा ग्राम की अन्य महिलाओं को भी इस महामारी के संबंध में जागरूक किया गया एवं कोविड प्रोटोकाल का पालन कराये जाने में इनका सहयोग ग्राम पंचायत को प्राप्त होता रहा है।

3. स्वच्छाग्राही द्वारा किये गये कार्य –

स्वच्छाग्राही कांशीराम वरवडे द्वारा प्रति दिन लॉकडाउन अवधि मे निरंतर लाउड स्पीकर पर मुनादी एवं जागरूकता संदेशों के माध्यम से ग्रामीणों को जागरूक करने का कार्य किया गया साथ ही ग्राम में स्वच्छता बनाये रखने एवं ग्राम को सेनेटाईज करवाने में ग्राम पंचायत को सहयोग प्रदान किया गया साथ ही इनके द्वारा ग्राम भ्रमण करके मास्क न पहनने वालो को मास्क पहनने की हिदायत दी जाती थी, इन्होने अपनी ये सेवाये निशुल्क ग्राम पंचायत को प्रदाय की गयी।

4. पंचायती राज के ग्राम एवं जनपद स्तर के जनप्रतिनिधियों द्वारा किये गये कार्य –

समस्त वार्डो के पंच एवं क्षेत्र के जनपद सदस्य द्वारा अपने–अपने वार्डो में आमजन कों प्रेरित करके सर्व सहमति से संकल्प पारित कराया कि उनके द्वारा जनता कर्फयू का पालन किया जावेगा साथ ही उनके वार्ड में बाहरी व्यक्ति का प्रवेश प्रतिबंधित किया गया व यह संकल्प लिया गया कि यदि उनके वार्ड में कोई भी व्यक्ति अन्य प्रदेश अथवा प्रदेश के ही किसी अन्य जिले से लौटकर अपने घर आता है तो वह इसकी जानकारी ग्राम पंचायत में प्रदान करेंगे तथा उस आये हुये व्यक्ति को ग्राम पंचायत द्वारा बनाये गये कोरंटाईन सेन्टर में संस्थागत कोरंटीन का पालन करायेंगो इस तरह समस्त वार्ड एवं ग्राम पंचायत के दोनो ग्रामों की आंतरिक सीमाये स्व प्रेरणा से सील की गयी

5. ग्राम पंचायत के प्रधान, सचिव, रोजगार सहायक द्वारा किये गये कार्य –

ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रति दिन हो रहे घनाक्रम एवं गतिविधियों की जानकारी जनपद कार्यालय को समय पर उपलब्ध करायी गयीा संस्थागत कोरंटाईन सेन्टर का रख रखाव एवं इसका संचालन सुचारू रूप से इनके द्वारा किया गया. कंटेनमेंट जोन बनाने से लेकर सम्पूर्ण् ग्राम पंचायत क्षेत्र में सेनेटाईजेशन कराने का कार्य इनके द्वारा कराया गया. सचिव ग्राम पंचायत द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि बिना इंसीडेंट कमाण्डर की अनुमति के, ग्राम पंचायत क्षेत्र में कोई भी सामाजिक आयोजन न हो एवं किसी एक स्थान पर अधिक लोग इकटठा न हो इसका भी पालन कराया गया. ग्राम पंचायत द्वारा यह भी सुनिश्चित किया गया कि ग्रामीणों के घरो में पानी वितरण की व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित रहे

6. मनरेगा अन्तर्गत रोजगार प्रदान करना –

ग्राम पंचायत में मनरेगा अन्तर्गत प्रगतिरत कार्यो पर श्रमिक नियोजन के दौरान कार्य प्रारंभ करने के पूर्व श्रमिकों की थर्मलगन से टेम्परेचर लेने के पश्चात ही कार्य पर लगाया गया एवं प्रति श्रमिक को दो दो मास्क

उपलब्ध कराये गये थे कार्यस्थल पर साबुन, पानी, सेनेटाईजर की व्यवस्था कर सोशल डिस्टेसिंग बनाये रखते हुये कार्य सम्पादन कराये गये।

उक्त स्थिति में आज ग्राम पंचायत में केवल 4 सक्रीय कोविड पॉजिटीव प्रकरण शेष है वर्तमान में इन सभी का स्वास्थ्य ठीक है तथा ग्राम पंचायत में कोरोना के प्रकरण की संभावनाये कम हुई है इस आधार पर ग्राम पंचायत के ग्रामीणों द्वारा 25 मई 2021 तक अपनी ग्राम पंचायत को कोरोना मुक्त करने का संकल्प पारित किया गया है।

दीप्ति यादव़
खण्ड पंचायत अधिकारी